न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010033652025

Sessions Case/1294/2025
State of U.P. Vs. Prince
सत्र परीक्षण संख्या 1294/2025

मु0अ0सं0 87/2025
सरकार बनाम प्रिंस
अ0 धारा 64,87,137(2) बी0एन0एस0,
3/4 पोक्सो एक्ट,
थाना– हापुड देहात,जिला हापुड

10.07.2025 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त प्रिंस जेरे हिरासत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त प्रिंस के विरूद्ध धारा 64,87,137(2) बी0एन0एस0, 3/4 पोक्सो एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 25.07.2025 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 10.07.2025

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2025.07.14 10:30:19 IST
Reason: charge
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010033652025

Sessions Case/1294/2025

State of U.P. Vs. Prince

त्र परीक्षण संख्या 1294/2025

मु0अ0सं0 87/2025
सरकार बनाम प्रिंस
अ0 धारा 64,87,137(2) बी0एन0एस0,
3/4 पोक्सो एक्ट,
थाना– हापुड देहात,जिला हापुड

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त प्रिंस पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 21.03.2025 को समय सुबह 10.00बजे मौ0 सेठवाला ग्राम असौडा बहद थाना हापुड देहात जिला हापुड में आपने वादी की अव्यस्क बहिन ''एस''/ पीडिता उम्र 16 वर्ष 06 माह 14 दिन (18 वर्ष से कम) का उसकी विधिक संरक्षकता से व्यपहरण किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की धारा 137(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर वादी की अव्यस्क बहिन ''एस''/ पीडिता उम्र 16 वर्ष 06 माह 14 दिन (18 वर्ष से कम) को विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से व्यपहरण किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की धारा 87 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क बहिन ''एस''/ पीडिता उम्र 16 वर्ष 06 माह 14 दिन (18 वर्ष से कम) का व्यपहरण करने के उपरान्त उसके साथ बलात्संग किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की धारा 64 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

<u>चतुर्थतः:–</u> यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क बहिन ''एस''/ पीडिता उम्र 16 वर्ष 06 माह 14 दिन (18 वर्ष से कम) का व्यपहरण करने के उपरान्त उसके साथ बलात्संग/ प्रवेशन लैंगिक हमला कर ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 10.07.2025

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 10.07.2025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010000112025

Sessions Case/782/2025

State of U.P. Vs. Naresh

सत्र परीक्षण संख्या 782/2025

मु0अ0सं0 599/2024

सरकार बनाम नरेश आदि

अ0 धारा 191(2), 191(3), 333, 352, 115(2)/190,110/190,351(3) बी0एन0एस0

थाना– गढमुक्तेश्वर ,जिला हापुड

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्तगण नरेश, छत्रपाल, गजेन्द्र, कटोरिया, चन्द्रवती उर्फ सुमन, गुडडी, मानो उर्फ मानवती, गजेन्द्र पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमत ::– यह कि तहरीर दिनांकित 16.11.2024 के अनुसार पिछले करीब 4 माह से ग्राम नयागांव इनायतपुर बहद बहद थाना– गढमुक्तेश्वर जिला हापुड में सहअभियुक्त छोटू उर्फ नन्हे द्वारा वादी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''एल'' उम्र 12 वर्ष 19 दिन (यानि घटना के प्रारम्भ के समय 12 वर्ष से कम), से बलात्संग करने की शिकायत करने पर दि0 16.11.2024 को समय करीब 11.30 बजे ग्राम नयागांव इनायतपुर बहद बहद थाना– गढमुक्तेश्वर जिला हापुड में आप सभी अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव कर बलवा कारित किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 191(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आप सभी अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में लाठी, डन्डे, सरिया व धारदार हथियार जैसे घातक आयुधो से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव कर बलवा कारित किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 191(3) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादी व उसके परिजनो पर हमला/बलवा करने के आशय से वादी के घर में घुसकर गृह अतिचार किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 333 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थतः:– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादी व उसके परिजनो को प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौंच की । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 352 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचमतः:– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आप सभी अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में लाठी, डन्डे, सरिया व धारदार हथियार जैसे घातक आयुधो से लैस होकर वादी व उसके परिजनो को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 115(2)/190 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

षष्टमतः:– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादी व उसके परिजनो को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 351(3) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

सप्तमतः:– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आप सभी अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में लाठी, डन्डे, सरिया व धारदार हथियार जैसे घातक आयुधो से लैस होकर वादी व उसके परिजनो से मारपीट की ,जिससे वादी के भाई विजयपाल को गंभीर चोटे आई , जिससे यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होते । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 110/190 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 10.04.2025

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 10.04.2025